

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

सफदरजंग अस्पताल में "चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी" के लिए भर्ती नियमों के मसौदे पर
सार्वजनिक
सूचना

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग-डीओपीटी के दिनांक 13.10.2015 के का.जा. सं. एबी.
14017/61/2008-स्थापना (आरआर) के अनुपालन में, सफदरजंग अस्पताल में "चिकित्सा समाज कल्याण
अधिकारी" के पद के लिए भर्ती नियम संलग्न है।

भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई भी आपतिधारक इच्छुक टिप्पणियाँ अथवा सुझाव देने के लिए
टिप्प/भर्ती नियमों के मसौदे के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर अनुभाग अधिकारी
(एम.एच.-II) कमरा सं 405 ए, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई
दिल्ली-110108 को लिखित रूप में भेज सकते हैं या medicalhospital61@gmail.com पर ईमेल -
कर सकते हैं।

अ. सामंत
(जी.पी. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष-011 : 23061521

नई दिल्ली
दिनांक :

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख

2019

मा.का.नि. ...- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली (वर्ग III पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहां तक कि उनका संबंध चिकित्सा समाज सेवक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफ़दरजंग अस्पताल, चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी (समूह 'ख' पद), भर्ती नियम, 2019 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरर्हता: वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन भौतिक में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी	8* (2019)	माथारण केन्द्रीय सेवा, *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	वेतन भौतिक में स्तर-6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं होता।	30 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों अथवा आदेशों के अनुसार सरकारी मेडिकों के लिए पाँच वर्ष नक शिथिल की जा सकती है)।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अर्हताएं	परिवर्षा की अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
<p>आवश्यक:</p> <p>(क) किमी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज विज्ञान या समाज कार्य या विज्ञान में स्नातक डिग्री।</p> <p>(ख) चिकित्सा समाज कार्य में दो वर्षों का अनुभव।</p> <p>वांछनीय:</p> <p>(क) किमी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से चिकित्सा समाज कार्य में विशेषज्ञता के साथ समाज विज्ञान या समाज कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री; या</p> <p>(ख) किमी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज कार्य में दो वर्षों का डिप्लोमा।</p>	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा, जिमके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा</p>
<p>(11)</p>	<p>(12)</p>	<p>(13)</p>
<p>प्रतिनियुक्ति : केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये) या समतुल्य पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पञ्चात् के पद पर छह वर्ष की नियमित सेवा की है; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100 रुपये) या समतुल्य पर उस श्रेणी में नियुक्ति के पञ्चात् दस वर्ष की नियमित सेवा की है; (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित शैक्षिक अहताप और अनुभव रखते हैं।</p> <p>टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p>	<p>विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित में मिल कर बनेगी:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर त्रिकित्सा अधीक्षक, सफरदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष; 2. विभागाध्यक्ष, सफरदरजंग अस्पताल - सदस्य; 3. त्रिकित्सा अस्पताल अनुभाग के प्रभारी, उपनिदेशक प्रशासन न्याय्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; 4. उपनिदेशक (प्रशासन), सफरदरजंग अस्पताल - सदस्य। 	<p>नागू नहीं होता।</p>

[पृ. 11018/42/2019-एमएच I]

(जी.पी. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार